

टी. आर. 1
(कोष नियम 44)
प्रभार हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने इस दिन पूर्वाह्न/अपराह्न.....कार्यलय का प्रभार क्रमानुसार दे दिया तथा ग्रहण कर लिया है।

.....
भारमुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम.....
भारग्राही अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम.....

स्थान.....
तिथि.....

उन बकायों का ज्ञापन, जिन का उत्तरदायित्व कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।

कोष के बकाये..... स्थायी बकायें.....
नकद.....
अफीम.....

टिकटें तथा माचिस पर आबकारी की पट्टियां

कोष-बकायों का विवरण

विवरण	दोहरे तालों के अन्दर	कोषाध्यक्ष के पास	उपकोष में	कुल
नोट	10,000रु. पर			
	1,000रु. पर			
	5000रु. पर			
	100रु. पर			
	50रु. पर			
	10रु. पर			
	5रु. पर			
	2रु. पर			
	1रु. पर			
	चांदी के सिक्के	पूरे रुपये		
आधे रुपये				
चौथाई रुपये				
आठवां भाग रुपये				
अप्रचलित सिक्के				

उप-कोषों से प्राप्त नोटों या सिक्कों आदि के किसी विवरण के बिना केवल नवीनतम दैनिक तुलनपत्रों में सूचित कुल राशि के बकायों को ही इस खानें में दिखाने की आवश्यकता है।

विवरण	दोहरे तालों के अन्दर	कोषध्यक्ष के पास	उपकोषों में	कुल
गिलट मुद्रा	आधे रुपये चौथाई रुपये रुपये का आठवां भाग एक आने के सिक्के दो पाई			
तांबे तथा कांस्य सिक्के	एक पाई आधी पाई चौथाई पाई			
टिकटें तथा तुल्य आवकारी प्राप्तियां			
	सरकारी प्रतिभूतियां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई जमाकर्ता के खाते में जमा शेष रुपये अफीम मनों में रिवर्ज बैंक प्रारूप प्रपत्र आदि (संख्या) चैक प्रपत्र (संख्या)		

भारमुक्त अधिकारी

भारग्राही अधिकारी

स्थान

तिथि

उप-कोषों से प्राप्त नोटों या सिक्कों आदि के किसी विवरण के बिना केवल नवीनतम दैनिक तुलनपत्रों में सुचित कुल राशि के बकायों को ही इस खाने में दिखाने की आवश्यकता है।